राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवानसहाय बनाम पांची 117/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो |	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 व 7 तथा मंगला गंगू ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा हक़ एवं दुरुस्ती इन्द्राज का पेश कर अनुतोष चाहा गया कि खसरा नम्बर 534/1 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 534/2 रकबा 04 बीघा कुल रकबा 07 रकबा 12 बिस्वा वाके मीणो का बाढ़ ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ़ में से 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे एवं विवादित आराजीयात कुल रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर उसमे से 17 बिस्वा भूमि पर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 की और से अधिवक्ता श्री शंकर जोशी उपस्थित आकर अपना जवान सहमति का दिया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की एकपक्षीय बहस समायत कर एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाब पेश होने के आधार पर प्रतिवादीगण के जवाब को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2011 पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मनन किये जाने पर लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने हेतु अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है | इसके अतिरिक्त प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवानसहाय बनाम पांची हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	117/2013	

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2011 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।